संoसंo–9/विविध–13–52/2012
बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

डा0 शिवानंद चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गोपालगंज पूर्व में मुजफ्फरपुर जिले में पदस्थापित थे जिनका स्थानांतरण विभागीय अधिसूचना सं0 830(2) दिनांक 30.06.2005 द्वारा गोपालगंज में हुआ, जिसके आलोक में क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, सारण प्रमण्डल, छपरा के आदेश ज्ञापांक 172 दिनांक 27.07.2005 द्वारा इनका पदस्थापन अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सेलारकला (फुलवरिया) गोपालगंज में किया गया। गोपालगंज सर्जेसी में दिनांक 05.08.2005 को योगदान करने के पश्चात् वे दिनांक 14.08.2005 को बिना अवकाश स्वीकृत कराए ही अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हो गए। दिनांक 18.09.2012 को विभाग में प्राप्त उनके आवेदन में उनके द्वारा स्वास्थ्य विभाग में दिनांक 20.08.2009 को योगदान किए जाने का उल्लेख है, लेकिन किस विभागीय आदेश के आलोक में और किस पदाधिकारी के समक्ष उन्होनें योगदान किया तथा अपनी उपस्थिति दर्ज की, इसका कोई उल्लेख नहीं है। विभागीय अभिलेखों के अनुसार ये दिनांक 14.08.2005 के बाद से कभी भी विभाग में उपस्थित नहीं रहे है तथा अनाधिकृत रूप से अपने कर्तव्य से अनुपस्थित है।

2. उपर्युक्त आरोपों के लिए डा0 शिवानंद के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम 17 में अन्तर्निहित प्रावधनों के तहत विभागीय संकल्प सं0 1135(9) दिनांक 3.09.13 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। विभागीय कार्यवाही के दौरान निबंधित डाक एवं प्रेस विज्ञप्ति द्वारा सूचित किए जाने के बाद भी डा0 शिवानंद संचालन पदाधिकारी के समक्ष कभी उपस्थित नहीं हुए और न ही अपना बचाव बयान समर्पित किया जिसके आधार पर संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित अधिगम में डा0 शिवानंद के विरूद्ध आरोप प्रमाणित पाया गया।

3. विभागीय पत्रांक 705(9) दिनांक 06.08.2014 द्वारा अधिगम की प्रति उपलब्ध कराते हुए डा0 शिवानंद से द्वितीय कारणपृच्छा की गई जिसके प्रत्युत्तर में उन्होने पत्नी की इलाज हेतु पटना से बाहर रहने का कारण बताते हुए अगली तिथि निर्धारित करने का अनुरोध किया। तदालोक में विभागीय पत्रांक 917(9) दिनांक 9.10.2014 द्वारा उन्हें यह सूचित किया गया कि प्रत्युत्तर समर्पित करने हेतु सशरीर उपस्थित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्हें यह भी सूचना दी गई कि यदि एक पक्ष के अंदर निबंधित डाक से विभाग में वे प्रत्युत्तर समर्पित नहीं करते हैं, तो एकतरफा निर्णय लेने के लिए विभाग स्वतंत्र होगा।

निर्धारित समय सीमा के अंदर डा0 शिवानंद का प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में समीक्षोपरांत 5 वर्षो से अधिक अवधि तक अनाधिकृत अनुपस्थिति के प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सेवा संहिता के नियम–76 के तहत उन्हें बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति एवं मंत्रिपरिषद की स्वीकृति से सेवा से बर्खास्त किया जाता है।

आदेशः आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई हेतु अवश्य भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
(नागेन्द्र प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः 236(9) /स्वा0, पटना , दिनांकः 27/02/2016

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, (ले0 एवं ह0) बिहार पटना/ अवर सचिव, वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें सारण प्रमंडल छपरा/सिविल सर्जन गोपालगंज/जिला पदाधिकरी, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक 1683 दिनांक 29.09.2015 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– डा0 शिवानंद चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री (स्वा0) के आप्त सचिव/प्रधान सचिव स्वा0 के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाऐं बिहार पटना/ प्रशाखा पदाधिकारी 2,3,5,7,8,10, एवं 17 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

26.2.16
सरकार के अवर सचिव

D:\SWETA SHARMA 2016\Sankalp 2016.docx